प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 06 अगस्त, 2025*

विषय:- जिला कारागार, खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भगीरथ पुत्र श्री नन्दराम, निवासी जनपद-शाहजहॉपुर वर्तमान जनपद-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-34938/प्रो(6)/231(मानवा.दिवस.2023), दिनांक 05.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भगीरथ पुत्र श्री नन्दराम, ग्राम-नेतापुर, थाना-शेहरामऊ उत्तरी, जनपद-शाहजहॉपुर वर्तमान पीलीभीत का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक-03.05.2000 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गाली-गलौच करने से मना करने पर बंदूक से फायर करके रामसागर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-999/2000, 1000/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-06. शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 03.10.2012 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। बन्दी के ऊपर अन्य 03 विचाराधीन वाद कमशः-(1) अ०सं०-1269/10, सत्र वाद सं0-715/11, धारा-147, 148, 149, 307 आई०पी०सी०, थाना-गीरा, जिला-खीरी (2) अ0सं0-1271/10, सत्र वाद सं0-717/11, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट, थाना-भीरा, जिला-खीरी (3) अ0सं0-1268/10, एस०टी० नं0-72/12, धारा-364ए, 395, 412 आई०पी०सी०, थाना-भीरा, जिला-खीरी में विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.12.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष 10 माह 07 दिन तथा 20 वर्ष 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायायिका समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी के ऊपर मा0 न्यायालय में गम्भीर धाराओं में अन्य वाद लम्बित होने से स्पष्ट है कि उक्त बंदी आपराधिक प्रवृत्ति का है और इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज मे न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी के ऊपर गम्भीर धाराओं में वाद लम्बित होने एवं बंदी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22 -2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी /2018, दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी भगीरथ पुत्र नन्दराम की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भगीरथ (बन्दी सं0-253/2017) पुत्र श्री नन्दराम, निवासी जनपद-शाहजहॉपुर वर्तमान जनपद-पीलीभीत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-993/2025/4192(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, खीरी।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।